D.F.A

452

BHS16 योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में आवंटित उपरोक्त भवन की लीजडीड ब्रोशर के क्लॉज/शर्त एन के अनुसार निर्धारित औचारिक्ताओं /प्रपत्र/शपथ पत्र पूर्ण कराते हुये कराने हेतु आपको पूर्व प्रेषित चैक लिस्ट का सन्दर्भ लेना चाहें जिसमें लिस्ट जारी होने की तिथि से 60 दिनों में लीज डीड कराया जाना निर्धारित था। कृपया निम्न औचारिक्ताओं /प्रपत्र/शपथ पत्र पूर्ण कराते दिनांक 28 सितम्बर 2017 तक अपने उपरोक्त भवन की लीज डीड कराया जाना सुनिश्चित करें। ऐसा करने में असफल रहने पर आवंटी को एक प्रतिशत की दर से प्रशासनिक शुल्क का भुगतान करना होगा तथा अधिकतम एक वर्ष की समय बढोतरी दी जा सकेगी।

कम सं0	भवन की बढी कीमत	वाटर/सीवर कनैक्शन चार्जेज	लीजरेन्ट धनराशि	प्रपत्र शुल्क
1.	75,000/	रु0 7570/+18% GST Charges Rs 1362.60 Total = 8932.60	भूतल पर रु0 22,200/+18% GST Charges Rs 3996 Total = 26196	500/+18% GST Charges Rs 90 Total = 590
2.	75,000/	रु0 7570/+18% GST Charges Rs 1362.60 Total = 8932.60	प्रथम, द्वितीय एव तृतीय तल पर 11,100/+18% GST Charges Rs 1998 Total = 13098	500/+18% GST Charges Rs 90 Total = 590

1. उपरोक्त राशि का भुगतान प्राधिकरण के अधिकृत बैंक में जमा करके चालान की छायाप्रति प्रस्तुत करें।
2. किसी भी प्रकार वाद–विवाद/मोर्टगेज/देय आदि के संबंध में रु0 10/के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. रुपये 20,050/नकद लीजडीड के समय सब रजिस्टार कार्यालय में नकद जमा करने होगे। (इस राशि की पुष्टि हेतु सब रजिस्ट्रार कार्यालय गौतम बुद्ध नगर से संपर्क करें)
4. सब रजिस्टार गौतम बुद्ध नगर से स्टाम्प की गणना कराकर स्टाम्प पेपर लीजडीड प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करें।
5. स्टाम्प पेपर की अधिकता एवं कमी में प्राधिकरण कार्यालय जिम्मेदार नही होगा। इसके अतिरिक्त लीजडीड हेतु आपको राजपत्रित अधिकारी/बैंक द्वारा सत्यापित 5 पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ, दो सत्यापित हस्ताक्षर, सत्यापित फोटो पहचान पत्र एवं दो व्यस्क गवाह एवं गवाह के 3–3 फोटोग्राफ एवं पहचान पत्र प्रस्तुत करने होगे।
6. जिन आंवटियों द्वारा Agreement to Lease करा ली है उन्हें रु0 100/ के स्टाम्प पेपर सहित लीजडीड प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. लीजडीड तीन प्रतियों में प्रस्तुत करनी होगी।
8. प्राधिकरण कार्यालय के Reception Centre (Ground Floor) पर पेमेन्ट इंटीमेशन के काउन्टर से लीजडीड की तिथि की पेमेन्ट इंटीमेशन की एक प्रति लीजडीड के प्रपत्रों सहित सम्पत्ति विभाग में अनिवार्य रुप से संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।
9. कृपया लीजडीड से पूर्व प्राधिकरण में अपने भुगतान की स्थिति अवश्य ज्ञात कर लें। यदि प्राधिकरण रिकार्ड आपके द्वारा किए गए भुगतान के सभी चालान फीड नही है तो लीजडीड से पूर्व अपने चालानों की फीडिग करा लें। सभी चालानों की सत्यापित छायाप्रति के साथ चालान अपडेशन हेतु प्राधिकरण कार्यालय में सम्पर्क करें।
10. पूर्ण रुप से तैयार की गई लीजडीड के प्रपत्र दोपहर भोजनावकाश के समय 2:00 बजे से पूर्व सम्पत्ति विभाग में प्रस्तुत करें, भोजनावकाश के पश्चात प्राप्त हुई लीजडीड प्रपत्र अगले कार्य दिवस में आवंटी को वापस की जायेगी।
11. लीजडीड मे प्रस्तुत गवाहों की उपस्थिति सब रजिस्टार कार्यालय में दर्ज की जाती है। अतः लीजडीड निष्पादन हेतु आवंटी अथवा उसका प्रतिनिधि मात्र एक ही व्यक्ति प्राधिकरण के सम्पत्ति विभाग में उपस्थित हो। प्राधिकरण कार्यालय में अनावश्यक रुप से भीड न करें।
12. प्राधिकरण कार्यालय में लीजडीड पास कराकर आवंटी को उक्त का निबन्धन सब रजिस्टार कार्यालय सैक्टर गामा–2 ग्रेटर नौएडा से कराना अनिवार्य है। उक्त की प्रकिृया हेतु कृपया सब रजिस्टार कार्यालय सैक्टर गामा–2 ग्रेटर नौएडा से सम्पर्क करें। लीजडीड में प्राधिकरण के सम्पत्ति विभाग के प्रबन्धक व उनके GPA Holder की फोटो चस्पा करनी है। निबन्धन कार्य हेतु इनकी उपस्थिति अनिवार्य है। GPA Holder कर्मचारियों के नाम व दूरभाष की सूची सम्पत्ति विभाग में उपलब्ध है। अतः इनसे सम्पर्क कर लीजडीड का कार्य सब रजिस्टार कार्यालय मे सम्पादित कराए।
13. अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि की देयता के सबंध मे आवंटी को पृथक से सूचित किया जायेगा, जिसका भुगतान किया जाना अनिवार्य है।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त औपचारिक्ताऐं पूर्ण करते हुये पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिन के अन्दर उक्त भवन की लीजडीड निष्पादित कराना सुनिश्चित करे। **यह मांग पत्र सम्परीक्षा के अधीन जारी किया जा रहा है, यदि भविष्य में उक्त भवन के सापेक्ष कोई देयता होती है तो आंवटी को उसका भुगतान करना होगा।** कृपया उपरोक्तानुसार लीजडीड निष्पादन कराना सुनिश्चित करे।

भवदीय

SD.

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट नं0–1, नॉलेज पार्क–4,, ग्रेटर नोएडा
जिला गौतमबुद्व नगर(उ.प्र.)

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवासीय भवनों की योजना बीएचएस16 के अन्तर्गत सेक्टर–10 में आवंटित भवनों (क्षेत्रफल–29.76 बर्गमीटर) का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। आवंटियों को दिनांक 03.04.2017, 24.04.2017 एवं 09.05.2017 के माध्यम से भवनों की लीजडीड कराये जाने हेतु चेक लिस्ट जारी की गयी थी। जारी चेक लिस्ट के अनुसार सभी आवंटियों को 60 दिन के भीतर लीजडीड का निष्पादन कराते हुए भवनों का कब्जा प्राप्त किया जाना था। जिन आवंटियों द्वारा निर्धारित अवधि में लीजडीड का निष्पादन नहीं कराया गया, उन आवंटियों पर योजना के नियम एवं शर्तो के अनुसार बिलम्ब शुल्क देय है।

प्राधिकरण द्वारा बीएचएस16 योजना के अन्तर्गत सेक्टर–10 में आवंटित भवनों की लीजडीड न कराये जाने के कारण ऐसे सभी आवंटियों के दृष्टिगत अन्तिम रूप से दिनांक 28.09.2017 तक बिना लीजडीड विलम्ब शुल्क के समय विस्तरण अनुमन्य किया गया है ।

बीएचएस16 आवासीय योजना के अन्तर्गत सेक्टर–10 में आवंटित भवनों के आवंटियों को यह सूचना दी जा रही है कि वे लीजडीड से संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए दिनांक 28.09.2017 तक भवनो की लीजडीड कराना सुनिश्चित करें । **निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत लीजडीड न कराने पर आवंटित भवन के सापेक्ष भवन की कुल कीमत का 1 प्रतिशत की दर से अधिकतम 01 वर्ष हेतु विलम्ब शुल्क देय होगा।**

ऐसे आवंटीगण जिनको प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत डाक से भेजी गयी चेकलिस्ट प्राप्त नहीं होती है तो वे आवंटीगण प्राधिकरण की वेबसाइट www.greaternoidaauthority.in से चेकलिस्ट की छायाप्रति डाउनलोड कर समयान्तर्गत लीजडीड कराना सुनिश्चित करें।

महाप्रबन्धक, सम्पत्ति
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण